न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 255/2016 **दायरा दिनांक : 13.07.2016**

उनवान

सीताराम पुत्र धूलीलाल, आयु 73 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी बरखेडा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म0प्र0)

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रभूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र पांच्या, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– कलावती आयु 45 वर्ष पत्नी प्रभूलाल, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– सूरज्या उर्फ सूरजमल पुत्र पांच्या, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4– रामकरण पुत्र पांच्या, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5– रामप्रसाद पुत्र पांच्या, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6– रमेश पुत्र पांच्या, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

7– रामदयाल पुत्र पांच्या, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

8– पुष्पाबाई पुत्री पांच्या पत्नी श्रीलाल, जाति बैरवा, निवासी सुवांस, तहसील किशनगंज, जिला बारां

9– प्रेमबाई पुत्री पांच्या पत्नी रामगोपाल, जाति बैरवा निवासी किशनाईपुरा,

10– महावीर पुत्र बजरंगा, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

11– हेमलता पुत्री बजरंगा, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

12– गीताबाई बेवा बजरंगा, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

13– कन्याबाई पत्नी सूरजमल, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

14– मनभसर पत्नी रमेशचंद्र, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

15– महावीर पुत्र गोपाल, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा हाल निवासी बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर (म0प्र0)

16– ओमप्रकाश पुत्र गोपाल, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा हाल निवासी बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर (म0प्र0)

17– बिन्तोश पुत्र गोपाल, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा हाल निवासी बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर (म0प्र0)

18– बिन्टू पुत्र गोपाल, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा हाल निवासी बडौदा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर (म0प्र0)

19– धर्मराज पुत्र द्वारका, जाति बैरवा, निवासी पीपलखेडी, तहसील किशनगंज, जिला बारां

20– राजबाई पुत्री द्वारका, जाति बैरवा, निवासी रणोदिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

21– कमलेश पुत्री द्वारका, जाति बैरवा, निवासी सुवांस, तहसील किशनगंज, जिला बारां

22– गोबरीबाई पत्नी द्वारका, जाति बैरवा, निवासी ढीबरी, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

23– गोपी पत्नी भूरया, जाति बैरवा, निवासी रतोधन, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर (म0प्र0)

24– कालू पुत्र भवाना, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

25– देवकरण पुत्र भवाना, जाति बैरवा, निवासी श्रीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

26– राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.11.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 58/12 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया तथा वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया प्रतिवादी क्रम 21 का काउन्टर क्लेम पुनः नम्बर

पर लिया जाकर वादीगण की तलबी की गई । तलबी होने के पश्चात् वादीगण की एक्सपार्टी कर साक्ष्य लिया जाकर काउंटर क्लेम निरस्त किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलांट/प्रतिवादीगण कम 21 का काउंटर क्लेम स्वीकार कियाजाकर उसका हिस्सा बंटवारा कर पृथक किया जाना चाहिए था ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । ग्राम श्रीपुरा पटवार हल्का असनावर तहसील किशनगंज की आराजी जमाबंदी संख्या 13 की कुल किता 11 कुल रकबा 38 बीघा 6 बिस्वा में अपीलांट/प्रतिवादी कम 21 का 1/4 हिस्सा निहित है जो बाहमी बंटवारे के अनुसार उसे खसरा नम्बर 59 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 60 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा उत्तर की ओर लिया हुआ है उसके अनुसार बंटवारा कर पृथक से राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी कम 21 का 1/4 हिस्सा बंटवारा न करके काउंटर क्लेम निरस्त करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 08.01.2016 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.06.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि मान्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा